FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0090 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 04/04/2026 13:00 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/04/2026 **Date To (दिनांक तक):** 02/04/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:30 बजे **Time To (समय तक):** 12:04 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/04/2026 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 04/04/2026 13:00:47 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 85 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARSHI UPAJ MANDI, NEEMKATHANA JILA SIKAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SUBASHCHAND YADAV

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** GOKULCHAND YADAV

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1988 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KARSHI UPAJMANDI KE PASS, DHANI HEMAWALI, P. S. NEEMKATHANA KOTAWALI, साईबर पुलिस थाना (सीकर), SIKAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KARSHI UPAJMANDI KE PASS, DHANI HEMAWALI, P. S. NEEMKATHANA KOTAWALI, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RANDHEER SINGH		पिता:NARAYAN SINGH	1. BARWASHI,NAWALGARH,JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		40,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 40,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

संक्षिप्त हालात इस प्रकार है कि दिनांक 01.04.2026 को परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव पुत्र श्री गोकुलचन्द यादव उम्र 38 वर्ष, जाति अहिर, निवासी ढाणी हेमावाली, कृषि उपज मंडी के पास, पुलिस थाना नीमकाथाना कोतवाली जिला ,सीकर ने चौकी पर उपस्थित होकर मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष एक लिखित प्रार्थना-पत्र मय स्वयं की पहचान के रुप में आधार कार्ड की फोटोप्रति एवं स्वयं के परिजनो के पहचान पत्र एवं उनके द्वारा अनाज बिक्री व सब्जी बिक्री हेतु कृषि उपज मंडी नीमकाथाना जिला सीकर में दिये गये दस्तावेजात की फोटोप्रति पेश की। परिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि मेरी कृषि उपज मंडी नीमकाथाना में फल सब्जी की दुकान है। इसके अलावा मैने मेरी बहिन कृष्णा यादव (प्रिंस अनाज भंडार) एवं मेरे भाई की पत्नी प्रियंका कुमारी (खुसी अनाज भंडार) के नाम से अनाज बिक्री हेतु लाईसेंस के लिये कृषि उपज मंडी नीमकाथाना में आवेदन कर रखा है। मेरे पारिवारिक रिश्तेदारों अनिता देवी ने अनाज बिक्री एवं पंकज कुमार ने फल सब्जी बिक्री हेतु लाईसेंस के लिये आवेदन कर रखा है। मंडी सचिव श्री रणधीर सिंह मेरे से प्रति लाईसेंस 20,000 रुपये के हिसाब से कुल 80,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। मैं श्री रणधीर सिंह को रिश्वत नहीं देकर रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं, कार्यवाही करें। एसडी सुभाषचन्द यादव। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का सही होना बताते हुये श्री रणधीर सिंह सचिव कृषि उपज मंडी, नीमकाथाना जिला ,सीकर से पहले की कोई रंजिश अथवा उधार लेनदेन नहीं होना बताया। प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों व मजिद दरियाफ्त से मामला प्रथम द्रष्टया रिश्वत लेन-देन का पाया जाने पर कार्यालय के श्री महेश कुमार एचसी को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव से परिचय करवाया गया। कार्यालय का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर एवं नया मेमोरी कार्ड के मंगवाया जाकर परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव को डीवीआर को चालु व बन्द करने की विधि समझाई गई व डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में चलाकर देखा गया तो पूर्व की कोई वार्ता रिकॉर्ड होना नहीं पाई गई। कार्यालय का डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के श्री महेश कुमार एचसी को सुपुर्द कर परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव के साथ रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु नीमकाथाना के लिये समय 12.40 पीएम पर रवाना किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी डिजीटल टेप रिकॉर्डर पृथक से तैयार की गई। उसी दिन बाद सत्यापन श्री महेश कुमार एचसी ने उपस्थित कार्यालय होकर डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि कार्यालय से रवाना होकर मैं व परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव कृषि उपज मंडी, नीमकाथाना के पास पहुंचे जहाँ मैने परिवादी को डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के चालु कर सुपुर्द कर दिया, जिस पर परिवादी कृषि उपज मंडी, नीमकाथाना के अन्दर चला गया तथा मै मंडी के बाहर अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम हुआ, करीब 20 मिनट बाद परिवादी ने कृषि मंडी से बाहर आकर परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव ने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मुझे सुपुर्द कर दिया जिसे मैने बन्द करके अपने पास सुरक्षित रख लिया। दौराने रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव ने अपने मोबाईल फोन से मन् पुलिस निरीक्षक से वार्ता कर संदिग्ध आरोपी श्री रणधीर सिंह द्वारा उसकी चार दुकानों के लाईसेंस जारी करने की एवज में 80,000 की मांग करना बताया तथा परिवादी ने रुपयों की व्यवस्था करने के कारण एसीबी कार्यालय में उपस्थित नहीं होकर दिनांक 02.04.2026 को एसीबी टीम को नीमकाथाना में ही पहुंचकर अग्रिम कार्यवाही करने की कही, जिस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई। डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सुना गया तो रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई। डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक ने सुरक्षित आलमारी में रखा गया।   दिनांक 02.04.2026 को समय 08.00 एएम पर पूर्व से पाबंध शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री महेश कुमार सैन हैल्पर-प्रथम एवं श्री प्रदीप कुमार सुपरवाईजर अभियंता एवं ब्यूरो स्टाफ के उपस्थित कार्यालय आने पर फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से श्री सन्देश कुमार कनिष्ठ सहायक से निकलवाकर सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाकर मन् पुलिस निरीक्षक सुभाष मील मय श्रीमती सुनिता एचसी नं. 43, श्रीमती सुशीला कानि. नं. 107, श्री राजेन्द्र प्रसाद एचसी नं. 87, श्री अशोक कुमार एचसी नं. 76, श्री सन्देश कुमार कनिष्ठ सहायक, श्री महेश कुमार एचसी नं. 48 मय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड, ट्रेप बॉक्स एवं लेपटॉप मय प्रिन्टर व डीवीआर मय नया मेमोरी कार्ड को साथ लेकर चालक श्री सुरेश कुमार एचसी के जरिये सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन के श्री विजय कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इमदाद हेतु साथ लेकर सीकर से रवाना होकर परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव से सम्पर्क करते हुये

दीवान की कोठी के सामने नीमकाथाना पहूंचा जहां परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव अपनी मोटरसाईकिल सहित मौजुद मिला जहां परिवादी के चाहेतुसार उसकी दुकान पर मुकिम होकर अग्रिम कार्यवाही शुरु की गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव से आवश्यक पूछताछ की तो परिवादी ने दिनांक 01.04.2026 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन मन् पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाईल फोन बताये गये कथनों की ताईद की तथा संदिग्ध आरोपी द्वारा बताये गये 80,000 रुपये में से 40,000 रुपये की ही व्यवस्था होने की कहते हुये संदिग्ध आरोपी को 40,000 रुपये ही देने की कही। परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री महेश कुमार सैन हैल्पर-प्रथम एवं श्री प्रदीप कुमार सुपरवाईजरअभियंता का आपस में परिचय करवाया जाकर स्वतंत्र गवाहान को परिवादी का प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तथा प्रार्थना पत्र पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान से मामले में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव ने हिदायत देने पर संदिग्ध आरोपी श्री रणधीर सिंह, सचिव, कृषि उपज मंडी, नीमकाथाना जिला ,सीकर को रिश्वत के रुप में दिये जाने वाले नोट पॉच सौ रुपये के 80 नोट कुल 40,000 रुपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार हैः- 1. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 0GQ 388971 2. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 6PG 548556 3. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 8SA 300015 4. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 6CG 073615 5. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 5FD 704350 6. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 3GU 668652 7. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 2DW 706324 8. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 4TR 526803 9. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 1CL 796481 10. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 7LS 465299 11. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 8PU 169828 12. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 8GW 839625 13. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 3NT 410594 14. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 9RC 008366 15. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 3BU 288223 16. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 9TW 561679 17. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 1LL 308478 18. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 8FM 614648 19. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 5MM 866791 20. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 2SC 258683 21. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 2DC 229699 22. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 5HT 625991 23. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 3GB 028132 24. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 7NC 395521 25. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 8FH 787568 26. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 6HP 895696 27. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 2EH 591788 28. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 8KV 267030 29. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 8EH 288199 30. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 3EU 533028 31. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 3QK 744723 32. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 7DD 848659 33. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 7VG 696424 34. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 3DQ 479519 35. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 3VG 624081 36. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 7KE 929760 37. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 3KQ 748938 38. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 4CV 403947 39. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 2CS 499257 40. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 8SM 295921 41. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 8MV 335044 42. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 0LR 175183 43. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 4NG 388292 44. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 6RS 865779 45. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 3MA 165368 46. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 8KU 645709 47. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 1BD 478054 48. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 7TA 726131 49. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 5GF 159973 50. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 3AA 016597 51. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 4VQ 760535 52. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 4PR 464451 53. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 9TV 194652 54. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 9KW 486185 55. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 3KD 078810 56. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 4VC 754363 57. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 3SE 357546 58. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 3CR 947610 59. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 6SE 730446 60. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 8AD 962439 61. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 0FR 075352 62. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 6PK 434259 63. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 0FN 065810 64. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 6WV 434072 65. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 1NF 122817 66. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 0KA 405135 67. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 5AM 419187 68. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 0GA 823984 69. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 9CT 884414 70. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 9PK 332759 71. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 7UU 009997 72. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 3AR 409357 73. एक नोट पॉच सौ रुपये

का नम्बरी नम्बर 4CG 365335 74. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 8CD 971551 75. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 6KS 889659 76. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 1TH 811111 77. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 5PL 597649 78. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 2KS 974466 79. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 8DE 502503 80. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 9QT 227495 फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड से श्री सन्देश कुमार कनिष्ठ सहायक से निकलवाकर उपरोक्त समस्त नोटो पर हस्ब कायदा फिनॉफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर गवाह श्री प्रदीप कुमार से परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनॉफ्थलीन पाउडर लगे 40,000 रुपयों के नोटो को श्री सन्देश कुमार कनिष्ठ सहायक से परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव की पहने हुई पैन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखवाकर परिवादी तय ईशारे बाबत मुनासिब हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनों पाउडरों फिनोफ्थलीन एवं सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव व दोनों स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया। श्री सन्देश कुमार कनिष्ठ सहायक से प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल को फिंकवाकर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास एवं अखबार जिस पर रुपयों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था, को जलाकर नष्ट करवाया गया। परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। कार्यालय की डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के खाली होना सुनिश्चित कर डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के श्री महेश कुमार एचसी को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गयी। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी गवाहान की मौजुदगी में श्री सन्देश कुमार कनिष्ठ सहायक को सुपुर्द कर एसीबी कार्यालय सीकर पहुंचने की मुनासिब हिदायत दी जाकर रवाना किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव ने अपने स्तर पर आरोपी रणधीर सिंह सचिव का मालूमात कर उसका कृषि उपज मंडी में होना बताया, जिस पर परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव एवं श्री महेश कुमार एचसी को परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान पार्टी के रवाना होकर समय 11.50 एएम पर कृषि उपज मंडी नीमकाथाना के पास पहुंचा जहां श्री महेश कुमार एचसी से डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के चालू करवाकर परिवादी को सुपुर्द कर परिवादी को कृषि उपज मंडी नीमकाथाना रवाना किया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के कृषि उपज मंडी के पास सङक पर वाहनों में ही परिवादी के तय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ। तत्पश्चात समय करीब 12.04 पीएम पर वाहन में मुकिम मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव का तय ईशारा मिसकाल प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान ट्रेप पार्टी सदस्यों के वाहनों से रवाना होकर कृषि उपज मंडी नीमकाथाना के मुख्य द्वार से अन्दर प्रवेश कर दाहिनी ओर स्थित कार्यालय सचिव कृषि उपज मंडी नीमकाथाना के चैनल गेट में प्रवेश किया जहां मुख्य दरवाजे के दक्षिण दिशा में बने कमरे के सामने परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव खङा मिला। मन् पुलिस निरीक्षक ने डीवीआर परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव से प्राप्त कर उसके बन्द कर सुरक्षित रखा गया। परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव ने कमरे में सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यहीं रणधीर सिंह, मण्डी सचिव है, जिन्होने मेरे से रिश्वत के 40,000 रुपये लेकर अपनी टेबल की दराज में रख लिये है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो उक्त व्यक्ति ने घबराते हुये अपना नाम रणधीर सिंह हाल अतिरिक्त सचिव कृषि उपज मंडी सीकर अतिरिक्त चार्ज सचिव कृषि उपज मंडी नीमकाथाना जिला ,सीकर होना बताते हुये कहा कि मैने इनसे 40,000 रुपये लिये है जो दराज में रखे है, मैने इनसे टायलेट निर्माण का ठेके पर काम करवाया था, उसके लिये है। मौके पर उपस्थित परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव ने आरोपी रणधीर सिंह सचिव के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि ये झूठ बोल रहे है, मैने इनका कोई निर्माण कार्य नहीं किया था, यदि मैने इनका कोई निर्माण कार्य किया होता तो निर्माण कार्य के पेटे ये रुपये मुझे देते बल्कि इन्होने तो मेरे से मेरे परिजनों की कुल चार दुकानों का लाईसेन्स जारी करने के लिये कल दिनांक 01.04.2026 को 80,000 रुपये मांगे थे, आज मैने इनको 40,000 रुपये देकर शेष 40,000 रुपये सोमवार को देने की कही। तत्पश्चात श्री अशोक कुमार एचसी के दोनो हाथों एवं दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर गिलासों में साफ पानी भरवाकर थोङा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री रणधीर सिंह सचिव के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी श्री रणधीर सिंह सचिव के बांये हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला हो गया। दोनो हाथो के उक्त धोवन को अलग-अलग दो-दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा-आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर-1,आर-2 तथा बांये हाथ के धोवन को मार्क एल-1 व एल -2 अंकित कर सीव्ड किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त किया गया। प्लास्टिक के दोनों डिस्पोजल गिलासो को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात गवाह श्री प्रदीप कुमार से श्री रणधीर सिंह सचिव की टेबल की दराज को खुलवाया गया तो टेबल की दराज में राजस्थान कृषि उपज मण्डी कानून की किताब के उपर पांच-पांच सौ रुपयों के नोटो की थेई दिखाई दी, जिनको गवाह श्री प्रदीप कुमार से उठवाकर गिनवाया तो कुल

40,000 रुपये पाये गये। उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरुप पाये गये। बरामद नोटो के नम्बर मौके पर बनाई गई फर्द बरामदगी में अंकित करवाकर कुल 40,000 रुपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त किया गया। तत्पश्चात श्री अशोक कुमार एचसी के दोनो हाथों एवं एक नये प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को साबुन व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में आरोपी श्री रणधीर सिंह सचिव की टेबल की दराज में रखी राजस्थान कृषि उपज मण्डी कानून नाम की किताब के उपरी कवर का एक सफेद कपडे की चिन्दी से धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबून पानी से धुलवाकर उनमें आधा-आधा डलवाकर भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क टी-1 व टी-2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त किया गया। राजस्थान कृषि उपज मण्डी कानून नाम की किताब के उपरी कवर को उतारकर उस कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर किताब के कवर व कपडे की चिन्दी को एक सफेद कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क ए अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त किया गया। तत्पश्चात कार्यालय में मौजुद सुश्री करिश्मा सूचना सहायक को परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव के परिजनों के नाम कुल चार दुकानों के लाईसेन्स के संबंधित पत्रावली पेश करने की हिदायत देने पर कार्यालय में रखी आलमारी से अनुज्ञा पत्र से संबंधित कुल 4 पत्रावलियां पेश की जिसका अवलोकन किया जाकर उक्त चारों पत्रावलियों के बारे में आरोपी श्री रणधीर सिंह सचिव से पूछा तो बताया कि यह पत्रावलियां मेरे पास करीब 20 दिन पहले आयी थी, जिनमें नोटिंग की जाकर कृषि मण्डी नीमकाथाना के प्रशासक एसडीएम नीमकाथाना जिला सीकर को प्रेषित की जानी थी उक्त चारों पत्रावलियों की फोटोप्रति करवायी जाकर सुश्री करिश्मा सूचना सहायक से प्रमाणित करवाकर पत्रावलियों के प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा पुलिस ली गई। मूल पत्रावलियां सुश्री करिश्मा सूचना सहायक को सुपुर्द की गई। ट्रेप कार्यवाही के दौरान श्रीमती सुशीला महिला कानि. से सरकारी मोबाईल फोन में नया मेमोरी कार्ड KINGSTON 64 GB डलवाकर विडियोग्राफी करवायी गयी। उक्त मोबाईल फोन को श्रीमती सुशीला महिला कानि. से लेपटोप के माध्यम से दूसरा मेमोरी कार्ड KINGSTON 64 GB में विडियोग्राफी को डाउनलोड किया जाकर पहले वाले मूल मेमोरी कार्ड को मोबाईल फोन से निकालकर एक सफेद कागज में लपेटकर एक कपडे की थैली में सील्ड कर मार्क बी अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त किया गया एवं दूसरे मेमोरी कार्ड को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द धुलाई हाथ एवं बरामदगी रिश्वती राशि पृथक से तैयार की गयी। आरोपी श्री रणधीर सिंह अतिरिक्त सचिव कृषि उपज मंडी सीकर अतिरिक्त चार्ज सचिव कृषि उपज मंडी नीमकाथाना जिला ,सीकर को हस्ब कायदा जरिये फर्द अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 01.04.2026 को आरोपी श्री रणधीर सिंह, सचिव, कृषि उपज मंडी, नीमकाथाना जिला सीकर से कृषि उपज मंडी, नीमकाथाना जिला सीकर में आमने सामने हुई वार्ता को परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव द्वारा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री महेश कुमार एचसी से कार्यालय के लैपटोप में जुड़वाकर रिकॉर्डिंग वार्ता का फर्द रुपान्तरण व हिन्दी रुपान्तरण किया गया। उक्त वार्ताओं में परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव ने स्वयं की व आरोपी श्री रणधीर सिंह, सचिव, कृषि उपज मंडी, नीमकाथाना जिला सीकर की आवाज होना पहचान की। तत्पश्चात तीन नये खाली मैमोरी कार्ड KINGSTON 64 GB लेकर उन्हे खाली होना सुनिश्चित कर डीवीआर के मूल मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड उक्त वार्ता को तीनों मैमोरी कार्डो में कॉपी की गई। रिश्वत मांग के समय प्रयोग किये गये उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड KINGSTON 64 GB एवं नये तैयार किये गये मेमोरी कार्डो में से एक मेमोरी कार्ड की श्री महेश कुमार एचसी से FTK Imager सॉफ्टवेयर से अलग-अलग हैश वैल्यु निकलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। तीन मेमोरी कार्ड में से हैश वैल्यु निकाले गये एक मेमोरी कार्ड पर मार्क सी अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उसे उसी के कवर में डालकर एक सफेद कपडे की थैली में सील्ड मोहर किया गया। मूल मेमोरी कार्ड KINGSTON 64 GB को उसी के कवर में डालकर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क सी-1 अंकित किया गया। शेष दो मेमोरी कार्डो को आरोपी एवं अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा गया। तत्पश्चात परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 02.04.2026 को आरोपी श्री रणधीर सिंह, सचिव, कृषि उपज मंडी, नीमकाथाना जिला सीकर से कृषि उपज मंडी, नीमकाथाना जिला सीकर में आमने सामने हुई वार्ता को परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव द्वारा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री महेश कुमार एचसी से कार्यालय के लैपटोप में जुड़वाकर रिकॉर्डिंग वार्ता का फर्द रुपान्तरण व हिन्दी रुपान्तरण किया गया। उक्त वार्ताओं में परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव ने स्वयं की व आरोपी श्री रणधीर सिंह, सचिव, कृषि उपज मंडी, नीमकाथाना जिला सीकर की आवाज होना पहचान की। तत्पश्चात तीन नये खाली मैमोरी कार्ड KINGSTON 64 GB लेकर उन्हे खाली होना सुनिश्चित कर डीवीआर के मूल मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड उक्त

वार्ता को तीनों मैमोरी कार्डो में कॉपी की गई। रिश्वत लेनदेन के समय प्रयोग किये गये उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड KINGSTON 64 GB एवं नये तैयार किये गये मेमोरी कार्डो में से एक मेमोरी कार्ड की श्री महेश कुमार एचसी से FTK Imager सॉफ्टवेयर से अलग-अलग हैश वैल्यु निकलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। तीन मेमोरी कार्ड में से हैश वैल्यु निकाले गये एक मेमोरी कार्ड पर मार्क डी अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उसे उसी के कवर में डालकर एक सफेद कपडे की थैली में सील्ड मोहर किया गया। मूल मेमोरी कार्ड KINGSTON 64 GB को उसी के कवर में डालकर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क डी-1 अंकित किया गया। शेष दो मेमोरी कार्डो को आरोपी एवं अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा गया। मौके की कार्यवाही पूर्ण होने पर परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव को मुनासिब हिदायत कर रुखसत किया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री रणधीर सिंह सचिव मय जप्तशुदा वजह सबूत मय हमराहियान के सरकारी एवं प्राईवेट वाहन के एसीबी कार्यालय सीकर पहुंच प्रकरण से संबंधित वजह सबूत जमा मालखाना करवाया गया। की गई कार्यवाही के आधार पर आरोपी रणधीर सिंह अतिरिक्त सचिव कृषि उपज मंडी सीकर अतिरिक्त चार्ज सचिव कृषि उपज मंडी नीमकाथाना जिला, सीकर द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुये परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव से उसके परिजनों के नाम चार दुकानों के लाईसेंस जारी करने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 01.04.2026 को परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव से 80,000 रुपये बतौर रिश्वत की मांग करने तथा मांग के अनुशरण में दिनांक 02.04.2026 को परिवादी श्री सुभाषचन्द यादव से 40,000 रुपये बतौर रिश्वत राशि प्राप्त करना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया जाता है। आरोपी श्री रणधीर सिंह अतिरिक्त सचिव कृषि उपज मंडी सीकर अतिरिक्त चार्ज सचिव कृषि उपज मंडी नीमकाथाना जिला, सीकर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपी श्री रणधीर सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह, उम्र 45 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम बङवासी, पुलिस थाना नवलगढ जिला झुन्झुनूं हाल अतिरिक्त सचिव कृषि उपज मंडी सीकर अतिरिक्त चार्ज सचिव कृषि उपज मंडी नीमकाथाना जिला ,सीकर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है। (सुभाष मील) पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर.......कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुभाष मील, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रणधीर सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह, उम्र 45 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम बङवासी, पुलिस थाना नवलगढ जिला झुन्झुनूं हाल अतिरिक्त सचिव कृषि उपज मंडी सीकर अतिरिक्त चार्ज सचिव कृषि उपज मंडी नीमकाथाना जिला ,सीकर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विजय सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. द्वितीय,जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 152 पर अंकित है। (पीयूष दीक्षित) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 603-06 दिनांक 04.04.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सीकर 2- निदेशक,कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** VIJAY SINGH **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Piyush Dixit
Location: Rajasthan,IN
Date: 04/04/2026 13:02:45

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): PIYUSH DIXIT

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1981				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)